न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 82/2021 दायर दिनांकः 22/04/2021

उनवान

1. जगदीश आयु 52 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
2. राजेन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
3. रामद्वार आयु 37 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
4. बसन्तीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
5. अजोध्याबाई आयु 53 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
6. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
7. रूकमणीबाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व. बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0
एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थिति :—
वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः— विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 25/04/2022

पत्रावली पेश हुई, उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92ए आर. टी. एक्ट. एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल अटरू तहसील अटरू जिला बारां की खाता संख्या 313 का ख0न0 102 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 103 रकबा 1.20 है0, ख0नं0 15 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 99 रकबा 1.08 है0 कुल किता 4 रकबा 2.43 है0 आराजी वादीगण के पिता/पति बजरंगलाल पुत्र रामा जाति चमार निवासी गन्दोलिया के हिस्सा 1/15 शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 64 की ख0नं0 981 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 682 रकबा 0.75 है0, ख0 684 रकबा 0.68 है0 कुल किता 3 रकबा 1.53 है0 आराजी वादीगण के पिता/पति चतुर्भुज पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी

गन्दोलिया के खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी संवत 2073 से 2076 वाद पत्र के साथ संलग्न है। जो काबिल गौर है। वादीगण के पिता व पति को बजरंगलाल व चतुर्भुज दोनों नामों से पुकारते थे इस कारण एक खाते में बजरंगलाल व दूसरे खाते में चतुर्भुज दर्ज हो गया है। बजरंगलाल उर्फ चतुर्भुज जाति बैरवा चमार का स्वर्गवास दिनांक 15.02.2021 को हो गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड, वाद पत्र के साथ संलग्न है। वादीगण के पिता व पति के दो नाम बजरंगलाल व चतुर्भुज होने के कारण वादीगण वारीसान का नाम मृतक पिता के स्थान पर राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज नहीं हो पा रहा है। जिसके कारण वादीगण को सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभों से वंचित होा पड रहा है। वादीगण के पिता व पति का नाम सभी दस्तावेजों आधार कार्ड में बजरंगलाल ही दर्ज है। अतः वादीगण अपने पिता व पति का नाम चतुर्भुज के स्थान पर बजरंगलाल एक ही नाम करवाने के अधिकारी है। जिसका बिना न्यायालय की सहायता के नहीं करवाया जा सकता है। अस्तु यह वाद नाम दुरूस्ती का माननीय न्यायालय में प्रस्तुत है। राजस्थान सरकार प्रतिवादी भूमि धारक होने एवं वा दनाम दुरूस्ती का होने की वजह से आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। जिसको धारा 80 सी0पी0सी0 का मियादी 2 माह का रजिस्टर्ड नोटिस दिया गया है। वाद कारण वादीगण द्वारा प्रतिवादी से कई बार मौखिक एवं लिखित निवेदन करने के बावजूद भी दिनांक 05.04.2021 को वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी पर वादीगण के पिता व पति नाम दुरूस्त आराजी पर वादीगण को खातेदार कृषक घोषित नहीं करने पर माननीय न्यायालय के सीमाक्षेत्र में उत्पन्न हुआ जो माननीय न्यायालय द्वारा सुना जाने योग्य है। वाद की विषयवस्तु व पक्षकारान तहसील क्षेत्र अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के अनुसार उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद पत्र की द्वितीय प्रति वाद पत्र के साथ संलग्न है। अतः वादीगण वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि वादीगण के पक्ष मे प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री मय खर्चा सादिर फरमाई जावे कि—

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में वादीगण के पिता व पति का नाम चतुर्भुज के स्थान पर बजरंगलाल दुरूस्त करने व मृतक बजरंगलाल दुरूस्त करने व मृतक बजरंगलाल के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड

जमाबन्दी में दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

(ब) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी द्वारा पत्रांक/राजस्व/2022/105 दिनांक 25.04.2022 को जवाब दावा पेश कर कथन किया गया कि वाद पत्र में वर्णित क्र.सं. 1 में अंकित कथन के जवाब में मुताबिक पटवारी हल्का रिपोर्ट के अनुसार ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 64 किता 3 रकबा 1.53 है0 भूमि चतुर्भुज पुत्र रामा हिस्सा पूर्ण जाति बैरवा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है। मद संख्या 2 में वर्णित कथन न्यायिक है। वाद पत्र मे वर्णित क्र.सं. 3 में अंकित कथन कि जवाब में मुताबिक पटवारी यह है कि ग्राम गन्दोलिया में चतुर्भुज पुत्र रामा के नाम खाता दर्ज है, वादीगण के पिता व पति का नाम अन्य दस्तावेजों में बजरंगलाल नाम दर्ज है, जबकि ग्राम वासीयान की जानकारी के आधार पर बजरंगलाल व चतुर्भुज एक ही व्यक्ति के नाम है। मद संख्या 4 में वर्णित कथन न्यायिक है। मद संख्या 5 में वर्णित कथन न्यायिक है। मद संख्या 6 में वर्णित कथन न्यायिक है। मद संख्या 7 में वर्णित कथन न्यायिक है। मद संख्या 8 में वर्णित कथन न्यायिक है। मद संख्या 9 में वर्णित कथन न्यायिक है।

3. साक्ष्यवादी के अन्तर्गत pw1 छोगालाल पुत्र रामलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया एवं pw2 जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया द्वारा शपथ पत्र पेश कर कथन किया गया कि ग्राम एवं माल अटरू की खाता संख्या 313 किता 4 रकबा 2.43 है0 आराजी हम वादीगण के पिता/पति बजरंगलाल पुत्र रामा जाति चमार निवासी गन्दोलिया के हिस्सा 1/15 शामलाती खाते एवं कब्जे काश्त में दर्ज चली आ रही है। माल गन्दोलिया के खाता संख्या 64 की किता 3 रकबा 1.53 है0 आराजी हम वादीगण के पिता/पति चतुर्भुज पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया के खाते एवं कबजे काश्त में दर्ज चली आ रही है। हम वादीगण के पिता व पति को बजरंगलाल व चतुर्भुज दोनों नामों से पुकारत थे इस कारण एक खाते में बजरंगलाल व दूसरे खाते में चतुर्भुज दर्ज हो गया है। बजरंगलाल उर्फ चतुर्भुज जाति बैरवा चमार का स्वर्गवास दिनांक 15.02.2021 को हो गया है।

4. अभिभाषक वादीगण की एक तरफा बहस सुनी। अभिभाषक वादीगण द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा निवेदन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित

आराजी में वादीगण के पिता व पति का नाम चतुर्भुज के स्थान पर बजरंगलाल दुरूस्त करने व मृतक बजरंगलाल के स्थान पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर खातेदार कृषक घोषित करने का आदेश प्रतिवादी को प्रदान किया जावे।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम अटरू की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2073—76 के खाता संख्या 313 ख0नं0 102, 103, 15, 99 किता 4 कुल रकबा 2.43 है0 आराजी में शामलाती खाते में बजरंगलाल पुत्र रामा हिस्सा 1/15 दर्ज रिकार्ड है। ग्राम गन्दोलिया की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2072—75 के खाता संख्या 64 ख0नं0 681, 682, 684 किता 3 कुल रकबा 1.53 है0 आराजी खातेदार चतुर्भूज पुत्र रामा जाति बैरवा के खाते दर्ज है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेज वादीगण के पति/पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र में बजरंगलाल पुत्र रामलाल दर्ज है। वादीगण के आधार कार्ड में जगदीश पुत्र बजरंगलाल, राजेन्द्र पुत्र बजरंगलाल, रामद्वार पुत्र बजरंगलाल, रूकमणी बाई पत्नि बजरंगलाल दर्ज है तथा वादीगण के पिता का नाम आधार कार्ड में बजरंगलाल पुत्र रामलाल दर्ज है। प्रतिवादी तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 25.04.2022 में बजरंगलाल पुत्र रामा जाति चमार व चतुर्भुज पुत्र रामा जाति चमार को एक ही व्यक्ति माना है। ग्राम पंचायत मेरमाचाह के प्रमाण पत्र दिनांक 02.11.2021 अनुसार चतुर्भूज पुत्र रामलाल तथा बजरंगलाल पुत्र रामलाल दोनों नाम एक ही व्यक्ति है।

अतः न्यायहित में वादीगण का वाद स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 64 की ख0नं0 981 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 682 रकबा 0.75 है0, ख00 684 रकबा 0.68 है0 कुल किता 3 रकबा 1.53 है0 में खातेदार चतुर्भुज पुत्र रामा के स्थान पर बजरंगलाल उर्फ चतुर्भुज पुत्र रामा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>

बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीणा (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 82/2021

उनवान

1. जगदीश आयु 52 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
2. राजेन्द्र आयु 46 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
3. रामद्वार आयु 37 वर्ष पुत्र बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
4. बसन्तीबाई आयु 55 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
5. अजोध्याबाई आयु 53 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
6. कमलेश आयु 40 वर्ष पुत्री बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया
7. रूकमणीबाई आयु 70 वर्ष पत्नि स्व. बजरंगलाल जाति बैरवा निवासी गन्दोलिया तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादी

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर0टी0एक्ट0</u>

<u>एवं धारा 136 एल0आर0एक्ट0</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................ रूबरू..............X..............................

बहाजिर :–
वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री चन्दालाल नागर
प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक पेरोकार सरकार
मिनजानित मुदई रूबरू ....X...

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम ग्राम गन्दोलिया के खाता संख्या 64 की ख0नं0 981 रकबा 0.10 है0, ख0नं0 682 रकबा 0.75 है0, ख0ं0 684 रकबा 0.68 है0 कुल किता 3 रकबा 1.53 है0 में खातेदार चतुर्भुज पुत्र रामा के स्थान पर बजरंगलाल उर्फ चतुर्भुज पुत्र रामा दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X..................... .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 25/04/2022 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)